संख्याः 262 / 48–2018–1 / 12(25) / 17 टी.सी. I I

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0
लखनऊ ।

सैनिक कल्याण अनुभाग लखनऊः दिनांक 15 जून, 2018

विषय : वर्ष 1986 के पूर्व के वीर चक्र श्रृंखला व सेना मेडल, मेन्शन–इन–डिस्पैच के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त धनराशि एवं वार्षिकी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल एवं वायु सेना के ऐसे सैनिकों जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल (वीरता), मेन्शन–इन–डिस्पैच से वर्ष 1986 से पूर्व विभूषित किया गया है, को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों पर नकद पुरस्कार दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :–

क्रम सं0	पदक का नाम	एक मुश्त	वार्षिकी
1	परमवीर चक्र	32,50,000	1,95,000
2	महावीर चक्र	19,50,000	1,48,200
3	वीर चक्र	13,00,000	85,800
4	सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल(वीरता)	39,000	6,240
5	मेन्शन–इन– डिस्पैच	32,500	3,900

2. उपर्युक्त पुरस्कारों के लिये एकमुश्त एवं वार्षिकी की उक्त दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

3. उपर्युक्त स्वीकृत नकद अनुदान पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में लेखाशीर्षक 2075–विविध सामान्य सेवायें–104–विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार–**04–वीर चक्र श्रृंखला (परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र) के विजताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/अनुदान**–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक 2075–विविध सामान्य सेवायें–104–विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार–**05–बार–टू–सेना मेडल(सेना मेडल (वीरता), मेन्शन–इन–डिस्पैच) के पुरस्कार प्राप्त उ0प्र0 के सैनिकों को एकमुश्त नकद पुरस्कार**–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः ई–4–38 / दस–2018 दिनांक 22.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या : 262(1)/48–2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/सामान्य प्रशासन/गृह एवं गोपन विभाग।
3. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0(द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
6. सचिव ,केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
9. जनरल आफिसर कमाण्डिंग इन चीफ, सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊ
10. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/4/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
उप सचिव।

प्रेषक,

संख्याः 431 / 48–2018–113 (विविध) / 2004

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0,
लखनऊ ।

सैनिक कल्याण अनुभागः

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2018

विषयः वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–9001 / सि0सै0सम0सम्मे0–2018 / स0प0–3 / 1003 दिनांक–12.06.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में रहने वाले जल, थल, वायु सेना के ऐसे सैनिकों जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल (वीरता), मेन्सन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्व सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित किया जाता है, को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली नकद पुरस्कार तथा भूमि के बदले नकद धनराशि का समावेश करते हुये उक्त एकमुश्त पुरस्कार तथा वार्षिकी निम्नवत् पुनरीक्षित दरों से दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	पदक का नाम	एक मुश्त धनराशि	वार्षिकी की धनराशि
1	परमवीर चक्र	52,00,000	3,12,000
2.	महावीर चक्र	31,00,000	2,37,000
3.	वीर चक्र	20,80,000	1,37,000
4.	सेना / नौसेना / वायु सेना मेडल (वीरता)	1,00,000	15,000
5.	मेन्शन –इन– डिस्पैच	52,000	13,000
6.	सर्वोत्तम युद्व सेवा मेडल	3,12,000	12,000
7.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	2,60,000	11,000
8.	युद्ध सेवा मेडल	83,200	10,000
9.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	2,39,000	11,000
10.	अतिविशिष्ट सेवा मेडल	1,18,000	10,000
11.	सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल (विशिष्ट)	90,000	9,000
12.	विशिष्ट सेवा मेडल	47,000	9,000

2. उपरोक्त पुरस्कारों के लिये एकमुश्त पुरस्कार एवं वार्षिकी की उपर्युक्त दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। एतद्विषयक पूर्व शासनादेश संख्या–157 / 48–2010–19(7) / 72 टी0सी0 ।।। दिनांक–30.03.2010 एवं शासनादेश सं0–148 / 48–2016–113 (विविध) / 2004 दिनांक 13.04.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शेष पूर्व व्यवस्थायें यथावत रहेगी ।

3. उक्त पर आने वाला व्यय भार अनुदान सं0–87 के लेखाशीर्षक–2075–विविध सामान्य सेवायें–104–विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार–04–वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार / अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) एवं 05–बार–टू–सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उ0प्र0 के एवं सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) तथा 07–विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–2435 / एसीएसएफ / 2018 दिनांक–28.06.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 431 (1)/48-2018-113 (विविध)/2004 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/सामान्य प्रशासन/गृह एवं गोपन विभाग ।
3. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कार्यालय (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
6. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
7. महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)।
9. जनरल आफीसर कमान्डिग इन चीफ, सेन्ट्रल कमान्ड, लखनऊ ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भगवती)
संयुक्त सचिव।